



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/छिन्दवाडा/भू.रा/2018/2432

श्री. डी. एस. चौहान-18
द्वारा आज दि. 17/4/18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक बर्क हेतु
दिनांक 17/4/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती तुलसाबाई इवनाती पति उदयराम
पिता सहजन, जाति गोंड
निवासी - निवासी मुरमारी इमलीखेड़ा,
जिला- छिन्दवाडा (म.प्र.)—आवेदिका

बनाम

म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला- छिन्दवाडा (म.प्र.)—अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 (1) म.प्र. भू राजस्व
संहिता-1959 विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय, जिला
छिन्दवाडा के प्रकरण क्रमांक 83/अ-21/2017-18 में
पारित आदेश दिनांक 7-4-2018 से परिवेदित होकर।

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य:-

संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा ग्राम मुरमारी, पटवारी हल्का नम्बर- 43, तहसील मोहखेड, जिला छिन्दवाडा स्थित भूमि खसरा नम्बर 123/1 रकबा 1.104 हेक्टेयर भूमि जो कि आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, जो पैतृक भूमि होकर छोटे-छोटे टुकडों में पृथक-पृथक विभाजित होकर, आवेदिका को

मौजबंदी में प्राप्त नहीं है जो कि ग्रामकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। जिस

दिनांक 17/4/18
हस्ताक्षर व नाम [Signature]

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/छिंदवाडा/भू0रा0/2018/2432

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/6/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 83/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 07-4-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा ग्राम मुरमारी प0ह0नं0 43 बहसील मोहखेड़ जिला छिंदवाडा स्थित भूमि खसरा नं0 123/1 रकबा 1.104 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5-3-76-384-सात-न 1 दिनांक 21-2-1977 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11-3-1977 के अनुसार अंतरण पर रोक विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 के पश्चात आदिम जनजाति के विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भूमिस्वामी अधिकारों के बगैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के हित में अंतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और चूंकि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं और वे गैर आदिवासी को भूमि विक्रय करना चाहते हैं। उक्त आधार पर कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन को ग्राह्य योग्य न मानते हुए निरस्त किया</p>	



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	<p>है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि आवेदित भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की पैत्रिक भूमि है। यह भी कहा कि उन्होंने आवेदन में आवेदित भूमि स्थल पर पहाड में होने के कारण एवं इस भूमि से आवेदक को कृषि का समुचित लाभ प्राप्त न होने के कारण तथा आवेदक के बहुत समय पूर्व दूसरे ग्राम में स्थाई निवास करने के कारण आवेदक ने आवेदित भूमि को विक्रय कर निवास ग्राम से लगे हुए ग्रामों में भूमि क्रय करने का उल्लेख आवेदन में किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच कराए एवं प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर गलत आधार पर आवेदन निरस्त किया है।</p> <p>3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में भूमि को अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने के आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जो उचित है।</p> <p>4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। यह सही है कि कलेक्टर द्वारा राज्य शासन की जिस अधिसूचना का हवाला दिया गया है उसके अनुसार आदिम जनजाति क्षेत्र में छिंदवाडा जिले की छिंदवाडा, सोंसर एवं अमरवाडा तहसील सम्मिलित थी परंतु इसके उपरांत संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) तक के प्रयोजन के लिए भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II-ख-3 (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि.797 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर 1977 द्वारा भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के छठे पैरा के उप</p>	

3

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/छिंदवाडा/भू0रा0/2018/2432

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>पैरा (2) द्वारा बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। मध्यप्रदेश के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूची सरल क्रमांक 21 पर छिंदवाडा तहसील के तामिया और जामाई जनजातीय विकासखंड, पटवारी सर्किल क्रमांक 63 से 68 और क्रं0 72 और 73 पटवारी सर्किल क्रं0 62 के सीरगांव खुर्द और किरवानी-गांव, पटवारी सर्किल क्रमांक 69 के मैनावाडी और गौली परासिया गांव तथा पटवारी सर्किल क्रमांक 97 का गांव बम्हनी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र हैं। इस अनुसूची में ग्राम मुरमारी प0ह0नं0 43 तहसील मोहखेड़ जिला छिंदवाडा जहां प्रश्नाधीन भूमि स्थित है का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने से संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) के बंधन से मुक्त है। इस प्रावधान को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। अतः उक्त विधिक स्थिति तथा आवेदक की ओर से विक्रय की अनुमति दिए जाने के लिए उल्लिखित किये गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को उनके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। अतः कलेक्टर, छिंदवाडा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की मौजा ग्राम मुरमारी प0ह0नं0 43 तहसील मोहखेड़ जिला छिंदवाडा स्थित भूमि खसरा</p>	

श्रीमती तुलसाबाई इवनाती विरूद्ध में

रायबल
स्वतुति का 1-
मडल में प्र.

अधिनियम जिस
प्रकार (अपी

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों ए
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

नं0 123/1 रकबा 1.104 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी उपरोक्तानुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

3

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य